इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है..

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2026—ज्येष्ठ 8, शक 1948

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2026

क्रमांक—888/मप्रविनिआ/2026—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उप—धारा (I) सहपठित धारा 9 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (जी—45, वर्ष 2023) जिसे एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 में द्वितीय संशोधन

प्रस्तावना

आयोग द्वारा दिनांक 17.03.2023 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (जी—45, वर्ष 2023) अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय, द्वारा हाल ही में दिनांक 13.03.2026 को विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किये गये है। विद्यमान विनियमों के कतिपय उपबन्धों को, तद्नुसार, भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा दिनांक 13.03.2026 को अधिसूचित विद्युत (संशोधन) नियम 2026 से संरेखित किये जाने हेतु संशोधित किया जाना अपेक्षित है। अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (जी—45, वर्ष 2023) में ये संशोधन किये जा रहे हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (द्वितीय—संशोधन) {जी—45(ii), वर्ष 2026}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. **मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 10 को विनियम 11 के रूप में पुनः क्रमांकित (renumbered) किया जाए।**

3. **मूल विनियमों के विनियम 9 के पश्चात्, एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 10 निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए :—**

"10 ये विनियम तथा इन विनियमों के विनियम 8 के अधीन प्रकाशित विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं (captive users) हेतु विस्तृत प्रक्रिया दिनांक 12.03.2026 तक प्रभावशील रहेंगे:

परन्तु यह कि आयोग द्वारा मूल विनियमों के विनियम 5 के अधीन नियुक्त किये गये पदांकित प्राधिकारी (Designated Authority) और मूल विनियमों के विनियम 9 के अधीन आयोग द्वारा गठित "आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र श्रेणी विवाद प्रतितोषण समिति (CGP Status Dispute Resolution Committee)" दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावशील रहेंगे :

परन्तु आगे यह और कि इस विनियम के उपबन्ध संबंधित लम्बित प्रकरणों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।"

टीपः— **इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंगेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।**

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, सचिव.